न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2020

दायर दिनांक–28.01.2020
निर्णय दिनांक–27.02.2020

श्री महेश पिता पेमाराम चौधरी **बनाम** श्री सरकार जरिये भूमिधारी
निवासी पाडवा तहसील सगवाडा तहसीलदार सागवाडा
.....अपीलान्ट **.....रेस्पोडेन्ट**

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 1460/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 के विरूद्व

–

उपस्थित :–

1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अभिभाषक वास्ते अपीलान्ट
2. राजकीय पेरोकार

आदेश

इस प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा द्वारा मौजा पादरा के खसरा नंबर 5243 रकबा 0.02 बिस्वा भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करते हुए वहां पर पडे हुए 20 ट्रोली पत्थरों को जप्त सरकार करने एवं पैनाल्टी रू. 50/– वसूल करने के साथ ही अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने से तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 1460/2019 मे पारित निर्णण दिनांक 09.12.2019 को निरस्त करने हेतु अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की गयी है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को वास्ते जवाबदेही हेतु तलब किया गया। विपक्षी की आरे से राजकीय पेरोकार ने विपक्षी तहसीलदार सागवाडा की आरे से प्रस्तुत उनके न्यायालय के मूल प्रकरण की पत्रावली मय मौका रिपोर्ट के साथ पेश की जो शामील पत्रावली की गयी एवं बहस उभय पक्षों की समायत की गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा द्वारा मौजा पादरा के खसरा नंबर 5243 रकबा 0.02 बिस्वा भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करते हुए वहां पर पडे हुए 20 ट्रोली पत्थरों को जप्त सरकार करने एवं पैनल्टी रूपया 50/– वसूल करने के साथ ही अपीलान्ट को कठोरतम सजा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है एवं इसका वारण्ट भी जारी कर दिया गया है जो अत्यन्त ही कठोर होकर इसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना नही की गई है एवं न ही अपीलान्ट का कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण ही है द्वारा अपने स्वामीत्व की अन्य भूमि पर ले जाने हेतु ही पत्थरों का संग्रहण किया गया था, चूंकि उस समय रास्ता उपलब्ध नही होने से अपीलान्ट अपनी भूमि पर पत्थर नही ले जा सका था। चूंकि अपीलान्ट ने उक्त अतिक्रमित भूमि पर से पत्थर हटा लिये है जिसकी पुष्टि तहसीलदार सागवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक 55/राजस्व दिनांक 30.01.2020 एवं उसके साथ संलग्न पटवारी हल्का पादरा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 16.12.2019 से स्पष्ट रूप से हो जाती है। पटवारी हल्का पादरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से बताया है कि अतिक्रमी द्वारा पत्थर हटा लेने से यात्री प्रतिक्षालय अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट का मौके पर कोई अतिक्रमण नही है। जिसके मौके के फोटो भी पेश किये है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 1460/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

राजकीय पेरोकार ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया कि चूंकि अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से पत्थर हटा लिये है ऐसी स्थिति मे अब इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ती नही है।

मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार सागवाडा से प्राप्त मूल पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत अतिक्रमित भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.01.2020 एवं संलग्न पर्चा मौका दिनांक 16.12.2019 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षों

की आरे से अपनी बहस मे दी गई दलीलों पर घोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि :–

मौजा पादरा के खसरा नंबर 5243 रकबा 1.01 किस्म बिलानाम रास्ता मे से 0.02 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा 20 ट्रोली पत्थर डालकर अतिक्रमण करने से तहसीलदार सागवाडा द्वारा धारा 91 आर. एल.आर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके प्रकरण संख्या 1460/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 के द्वारा अतिक्रमी (अपीलान्ट) को बेदखल करते हुए तथा अतिक्रमित भूमि पर पडे 20 ट्रोली पत्थर जप्त सरकार करने एवं लगान का पचास गुना पैनाल्टी राशि रूपया 50/– तथा धारा 91–(3) के तहत 3 माह की सिविल करावास के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किये गये । अपीलान्ट ने उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश करते हुए अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सागवाडा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

चूंकी अपीलान्ट द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर डाले गये 20 ट्रोली पत्थर हटा लिये गये है जिसकी पुष्टि तहसीलदार सगवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट कमांक 55 दिनांक 30.01.2020 एवं उसके साथ संलग्न पर्चा मौका दिनांक 16.12.2019 एवं मौके के फोटो के अवलोकन से स्पष्ट रूप से हो जाती है इसके अलावा तहसीलदार सागवाडा से प्राप्त उक्त मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न पर्चा मौका दिनांक 16.12.2019 मे पटवारी हल्का पादरा द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलान्ट (अतिक्रमी) द्वारा मौके पर डाले गये पत्थर आज से 15 दिन पूर्व ही हटा लिये गये थे यानि प्रकरण के निस्तारण से पूर्व ही पत्थर हटा लेने से जब्ती की कार्यवाही नही की गई। ऐसी स्थिति मे जब अतिक्रमी (अपीलान्ट) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12. 2019 के पूर्व यादि दिनांक 01.12.2019 को अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से उसके द्वारा डाले गये पत्थरों को हटा लिये गये थे तो फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व उपरोक्तानुसार जो आदेश पारित किया गया है वह नियमों के विपरित पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाडा के द्वारा

प्रकरण संख्या 1460/2019 मे पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2020.02.28 16:54:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: